भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3015

19 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक पहुंच बनाने में चुनौतियां

3015. श्री एस. जगतरक्षकन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बायोमेट्रिक सत्यापन मुद्दों और राशन कार्ड जारी करने में देरी के कारण राशन न दिए जाने सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) तक पहुंचने में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पीडीएस नामांकन के लिए अनावश्यक दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 या पीडीएस नियंत्रण आदेश, 2015 के तहत अनिवार्य नहीं हैं;

(ग) क्या सरकार ने राशन कार्ड आवेदन प्रक्रिया के दौरान खाद्यान्नों के कम वितरण और बिचौलियों द्वारा शोषण सहित उचित दर की दुकानों के कामकाज की कोई लेखापरीक्षा या समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) जबकि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि डिजिटल साक्षरता या संसाधनों के बिना हाशिए पर रहने वाले समुदाय अपने अधिकारों तक पहुंच सकें तब पीडीएस सेवाओं की डिजिटल पहुंच में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ख): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत प्रचालित की जाती है। केंद्र सरकार खाद्यान्नों की खरीद, आबंटन और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के नामित डिपो तक परिवहन के लिए जिम्मेदार है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्नों के आबंटन, पात्र लाभार्थियों की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, टीपीडीएस के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्नों का वितरण, उचित दर दुकान डीलरों को लाइसेंस जारी करना, एफपीएस का पर्यवेक्षण और कामकाज की निगरानी आदि की प्रचालनात्मक जिम्मेदारियां संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की हैं। सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को संबंधित एनएफएसए सीमा तक अधिकतम पात्र व्यक्तियों को कवर करने की सलाह दी गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिकतम पात्र लाभार्थियों को एनएफएसए के तहत अधिदेशित कवरेज सीमा के अनुसार एनएफएसए खाद्यान्नों का लाभ प्राप्त हो।

...2/-

(ग): एनएफएसए, 2013 की धारा 28 और टीपीडीएस (नियंत्रण) आदेश, 2015 के खंड 12 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण, या कोई अन्य प्राधिकरण या निकाय, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, टीपीडीएस के कामकाज पर आवधिक सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करेगा या करवाएगा, और अपने निष्कर्षों को सार्वजनिक करेगा तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(घ): प्रौद्योगिकी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सुधारों के एक भाग के रूप में, पीडीएस की दक्षता में सुधार लाने और लीकेज को कम करने के उद्देश्य से, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्ड/लाभार्थियों के डाटाबेस को पूरी तरह से (100%) डिजिटीकृत कर दिया गया है। इसके अलावा, देश में कुल 5.43 लाख उचित दर दुकानों (एफपीएस) में से लगभग 5.41 लाख (99.6%) को लाभार्थियों के बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पारदर्शी तरीके (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) से खाद्यान्नों के वितरण के लिए ई-पीओएस उपकरण लगाकर स्वचालित किया गया है। ई-पीओएस उपकरणों के माध्यम से खाद्यान्न वितरित करने की प्रक्रिया बहुत सरल है और इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के माध्यम से अपने पात्र खाद्यान्न उठाने के लिए लाभार्थियों को किसी विशेष डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि वितरण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी लाभार्थियों को स्थानीय भाषा में ई-पीओएस मुद्रित लेनदेन रसीदें प्रदान करें।

****